MOST-URGENT
OUT – TODAY

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/22912 दिनांक :– 09 मई, 2020

:: आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता ::

भीलवाडा जिले में नोवल कोरोना वायरस (**COVID-19**) से संक्रमित व्यक्तियों के चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत **भीलवाड़ा शहर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में** सख्त निषेधाज्ञा लागू की गई है।

उक्त लागू निषेधाज्ञा के अग्रसरण में, मैं **राजेन्द्र भट्ट, (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** ऐसी स्थिति मे **भीलवाडा शहर में** निवासरत नागरिकों की सम्भावित किसी असुविधा के निवारण के प्रयोजन तथा नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से **दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत लागू उक्त सख्त निषेधाज्ञा में प्रथमदृष्टया भीलवाड़ा शहर के निम्नानुसार चिन्हित क्षेत्रों में अनुमत** व्यवसायिक/सामाजिक/निर्माण/कार्यालयी गतिविधियों, सेवाओं के संचालन एवं जनसाधारण के आवागमन इत्यादि हेतु निम्न वर्णित प्रतिबन्धात्मक शर्तो के अधीन आंशिक **छूट/शिथिलता प्रदान करते हुये** निम्नानुसार निर्देश देता हूं :–

:: प्रतिबन्धात्मक शर्तो के अधीन आंशिक छूट/शिथिलता निम्नानुसार रहेगी ::

- निम्नलिखित थाना क्षेत्रों से **जनसाधारण का आवागमन एवं अनुमत गतिविधियों का संचालन** प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक निम्नानुसार **अनुमत होगा** :–

क्र. सं.	थाना क्षेत्र	दिनांक एवं वार	
		जनसाधारण का आवागमन	अनुमत गतिविधियां का संचालन
1	सुभाष नगर सम्पूर्ण थाना क्षेत्र	11 मई 2020, सोमवार एवं 15 मई 2020, शुक्रवार	11 मई 2020 से अग्रिम आदेश तक
2	प्रताप नगर, एवं पुर एवं सदर सम्पूर्ण थाना क्षेत्र	12 मई 2020, मंगलवार एवं 18 मई 2020, सोमवार	
3	सिटी कोतवाली सम्पूर्ण एवं भीमगंज आंशिक थाना क्षेत्र	13 मई 2020, बुधवार	
4	सिटी कोतवाली एवं भीमगंज सम्पूर्ण थानाक्षेत्र	14 मई 2020, गुरूवार एवं 19 मई 2020, मंगलवार	

उक्तानुसार थाना क्षेत्रवार प्रदत्त छूट के संबंध में स्पष्ट किया जाता हैं कि छूट अनुसार थाना क्षेत्र के निवासी ही निर्दिष्ट दिवस एवं समय को शहर में खरीददारी एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवागमन कर सकेंगें।

.... 2

:: Nitin :: Covid-19/ CRPC-144

- **निम्न अनुमत व्यवसायिक गतिविधियां ही संचालित हो सकेगी :–**

A. केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, आयुष, पशु चिकित्सा दवाईयों की दुकानें।
B. किराना, प्रोविजनल स्टोर।
C. दूध डेयरी।
D. नजर के चश्मों की दुकानें।
E. पशु आहार, मुर्गी दाना के विक्रय केन्द्र।
F. बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण की दुकानें।
G. कृषि मशीनरी यंत्रों, उपकरणों के विक्रय, स्पेयर पार्टस एवं मरम्मत की दुकानें।
H. उचित दूरी पर टायर पंक्चर/रिपेयर की दुकानें।
I. वाहनों के लिये अधिकृत कम्पनी के **केवल** Service & Repair Centers
J. वाहनों के लिये स्पेयर पार्ट्स की दुकानें।
K. बिजली उपकरण Sales & Repair Shops
L. छात्रों के लिये शैक्षिक पुस्तकों की दुकानें **(केवल होम डिलेवरी)**

उक्तानुसार अनुमत की गई दुकानों के संबंध में स्पष्ट किया जाता हैं कि अनुमत श्रेणी के दुकानदार ही उनके प्रतिष्ठान खोल सकेंगें।

- **प्रतिबन्धात्मक शर्ते :–**

1. अनुमत गतिविधियों/प्रतिष्ठान के बाहर संबंधित दुकानदार द्वारा निर्धारित दूरी (न्यूनतम 6 फीट) में पेन्ट से गोले बनायें जावेंगें एवं किसी भी संचालक द्वारा Wearing of Mask & Social Distancing की पालना नहीं किये जाने एवं करवाये जाने पर प्रतिष्ठान को तत्काल बन्द करवाया जा सकेगा।
2. शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र में वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। चिकित्सकीय आपात स्थिति (Medical Emergency), पास धारक व्यक्तियों के लिये यह प्रतिबन्ध लागू नहीं रहेगा।
3. दिनांक 16 एवं 17 मई 2020 शनिवार एवं रविवार को शहर के खुदरा एवं थोक व्यापारी विभिन्न ट्रांसपोर्टेशन से सामग्री अपने प्रतिष्ठान तक ला सकेंगें, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के खुदरा व्यापारी भी भीलवाड़ा शहर से विभिन्न साधनों से माल ले जा सकेंगें। इन दिवसों में जनसाधारण का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा।
4. छूट प्रदत्त क्षेत्र में अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अति० पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित थानाधिकारी से समन्वय एवं सम्पर्क स्थापित कर उनके निर्देशन में आवश्यकतानुसार एवं मजबूत बेरिकेडिंग करवाई जावेगी।
5. भीलवाड़ा शहर एवं छूट प्रदत्त क्षेत्र में सब्जी मण्डी एवं फ्रूट की दुकानों के संचालन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। सब्जी एवं फ्रूट की उपलब्धता/सेवायें डोर–टू–डोर पूर्वानुसार यथावत रहेगी।
6. छूट प्रदत्त क्षेत्र में नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा प्रतिदिन सोडियम हाईपाक्लोराईड का स्प्रे करवाया जाकर क्षेत्र को पूर्णतः सेनेटाईज करवाया जायेगा।
7. होम क्वारेन्टाईन व्यक्ति का उनके घर से बाहर आवागमन/विचरण करने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।
8. 65 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से कम, गर्भवती महिलाओं एवं बीमार व्यक्ति स्वास्थ्य सुरक्षा के मध्यनजर आवश्यक आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घर पर ही रहेगें।

.... 3

9. शहर में निर्दिष्ट दिवस को अनुमत क्षेत्र के निवासियों के आवागमन के लिये पुलिस प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग ही अनुमत होगें। इस हेतु पुलिस विभाग द्वारा जनसाधारण की जानकारी हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें।
10. उक्तानुसार निर्दिष्ट क्षेत्रों एवं उसके सामने अंकित दोनों दिवसों के अतिरिक्त आगामी छूट/शिथिलता/कार्ययोजना के संबंध में नागरिकों द्वारा की गई शर्तो की पालना, यथा – आवागमन, Wearing of Mask, Social Distancing की समीक्षा के पश्चात् पृथक से आदेश जारी किये जायेगें।

मैं, जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लघंन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं **"The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957, National Disaster Manegment Act 2005** एवं अन्य सु–संगत विधिक प्रावधानो के अर्न्तगत अभियोजित किया जा सकेगा।

चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः तामील कराया जाना सम्भव नहीं हैं। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा **भीलवाड़ा शहर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र मे** मुख्य–मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों एवं समाचार पत्रो के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावे।

यह आदेश दिनांक 11.05.2020 से दिनांक 19.05.2020 तक **भीलवाड़ा शहर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में** प्रभावी रहेगा।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर
03. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान–जयपुर
04. संभागीय आयुक्त, अजमेर
05. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
06. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
07. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।
08. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
09. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
10. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट/तहसीलदार, जिला भीलवाड़ा
11. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा
13. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
14. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
16. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि लाउड स्पीकर के माध्यम से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार एवं लोगो को एकत्र नही होने हेतु सचित करावें।
17. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
18. सम्बन्धित थानाधिकारी जिला भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि ध्वनि प्रसारण यंत्रों के माध्यम से आदेश को जन साधारण को सूचित किये जाने हेतु। (द्वारा – जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा)
19. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/समस्त उपखण्ड/समस्त तहसील

जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

:: Nitin :: Covid-19/ CRPC-144

परिशिष्ट – "अ"

भीलवाड़ा शहर में संचालित पुलिस थानों का क्षेत्रवार विवरण :–

पुलिस थाना –सुभाष नगर
सिविल लाईन, सुभाषनगर, मलाण, रमा विहार, राजपूत कॉलोनी, आर.सी. व्यास कॉलोनी, आर.के. कॉलोनी, धांधोलाई, वर्धमान कॉलोनी, विजय सिह पथिक नगर, संजय कॉलोनी, मोती नगर, सांगानेर कॉलोनी, मारूति कॉलोनी, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, कस्बा सांगानेर **एवं सम्पूर्ण थाना क्षेत्र**
पुलिस थाना –प्रताप नगर
चपरासी कॉलोनी, मारूती नगर, गायत्री नगर, संतोष कॉलोनी, शिव नगर, शारदा एवरग्रीन कॉलोनी, राधेकृष्णा नगर, श्रीनगर बिहारी कॉलोनी, राम नगर, मीरा नगर, बसन्त विहार, गांधी नगर, कांची पुरम्, टेक्सटाईल मार्केट, पुराना आरटीओ रोड़, जवाहर नगर, पुराना रिको, पूर्बिया नगर, द्वारिका कॉलोनी, कृष्णा नगर, रिको फॉर्थ फेज से आरटीओ तक सम्पूर्ण आजाद नगर, पन्नाधाय सर्किल, महाप्रज्ञा सर्किल, चन्द्रशेखर आजाद नगर, ट्रान्सपोर्ट नगर, किशनावतो की खेड़ी, पटेल नगर, एकता कॉलोनी, मौखमपुरा, बंजारा बस्ती पटेल नगर, नया बापू नगर, पुराना बापूनगर, बिलिया **एवं सम्पूर्ण थाना क्षेत्र**
पुलिस थाना –सिटी कोतवाली
सिन्धु नगर, शास्त्री नगर, न्यू हाउसिंग बोर्ड, मोहम्मदी कॉलोनी, हुसैन कॉलोनी, बोहरा कॉलोनी, वैभव नगर, लक्ष्मी नगर, ज्योति नगर, भोपालपुरा रोड़, पंचवटी, हरणी कलां, हरणी खुर्द, समेलिया, ओडो का खेड़ा, जमना विहार, कुमुद विहार, कच्ची बस्ती कावाखेड़ा, हरीजन बस्ती, श्याम नगर, वकील कॉलोनी, काशीपुरी, आजाद चौक, बाजार नं. 1, 2, 3, गुर्जर मौहल्ला, मशीनरी मार्केट, मुख्य बाजार, स्टेंशन चौराहा, इन्द्रा मार्केट, बालाजी मार्केट, सुभाष मार्केट, लाल बहादुर शास्त्री मार्केट, यूआईटी मार्केट, साबुन मार्ग,एलएनटी मार्ग, मुरली विलास रोड़, राजेन्द्र मार्ग, नागौरी गार्डन **एवं सम्पूर्ण थाना क्षेत्र**
पुलिस थाना –भीमगंज (आंशिक)
महावीर मौहल्ला, आर्य समाज रोड़, सिरकी मौहल्ला, वीर सावरकर चौक, हरि शेवा मार्ग, अशोक नगर, महिला आश्रम, मालीखेड़ा, महेश कॉलोनी, सीताराम जी की बावड़ी, महर्षि दधिचि मार्ग, छीपा बिल्डिंग, आदर्श मौहल्ला, भदादा बाग, पुराना शिक्षा विभाग रोड़, प्रताप टॉकीज, सेवा सदन रोड़, महात्मा गांधी चिकित्सालय
पुलिस थाना –भीमगंज (सम्पूर्ण)
अशोक नगर, महताब की टाल, मालीखेड़ा ज्योतिबा फूले सर्किल, आसजी की बगीची, वीर सावरकर चौक, कचहरी, सिरकी मौहल्ला, महावीर मौहल्ला, भदादा बाग, प्रताप टॉकिज, आजाद चौक क्षैत्र, महर्षि दधिची मार्ग, आदर्श मौहल्ला, छीपा बिल्डींग, सेवा सदन रोड़, गुलमण्डी, मंगला चौक, मौमीन मौहल्ला, माणिक्य नगर, मालीखेड़ा माणिक्य नगर, कलकीपुरा, आमलियो की बारी, भदादा मौहल्ला, सांगानेरी गेट, शहीद चौक, धानमंडी, कोली मौहल्ला, खटीक मौहल्ला, दादाबाड़ी, आदर्श नगर गुलजार नगर, तिलक नगर, बोहरा कॉलोनी, आवासन मंडल कॉलोनी, हलेड़ रोड़, बाहला, चमन चौराहा,तेजाजी चौक, भवानी नगर **एवं सम्पूर्ण थाना क्षेत्र**